

प्रेस नोट दिनांक- 12.08.2025

कोतवाली व जनपद चन्दौली

◆ कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा एक कन्टेनर (UP21AT1065) से 20 राशि पडवा, 41 राशि भैंस जीवित, 02 राशि मृत भैंस व 02 चापड़ की बरामदगी करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा मूखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे इलिया मोड़ के पास से 01 कन्टेनर (UP21AT1065) से 20 राशि पडवा, 41 राशि भैंस जीवित, 02 राशि मृत भैंस व 02 चापड़ की बरामदगी करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जाकिर S/O स्व० जहीर नि० ग्राम बरवाना थाना विनौली जिला बागपत उम्र करीब 40 वर्ष व मो० रिहान S/O आरीफ नि० ग्राम दुबेडी थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे भैंस व पडवा बिहार से ला रहे हैं जिन्हें जनपद उन्नाव व जनपद कानपुर से स्लाटर हाउस में ले जाते हैं।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-206/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधि०, धारा 325 BNS व धारा 04/25 आयुध अधि० के तहत पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वाहन को अन्तर्गत धारा 207 MV Act में सीज किया गया।

पंजीकृत मु०अ०सं०-

1. मु०अ०सं० 206/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधि० व 325 BNS व 04/25 A. ACT थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जाकिर S/O स्व० जहीर नि० ग्राम बरवाना थाना विनौली जिला बागपत उम्र करीब 40 वर्ष
2. मो० रिहान S/O आरीफ नि० ग्राम दुबेडी थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान-

इलिया मोड थाना व जिला चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 20 राशि पडवा, 41 राशि भैंस जीवित व 02 राशि मृत भैंस
2. एक कन्टेनर UP21AT1065
3. 02 चापड़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० संजय कुमार सिंह थाना व जिला चन्दौली
2. उ०नि० देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना व जिला चन्दौली
3. उ०नि० रावेन्द्र सिंह
4. हे०का० विजय गौड़।